

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

परिवाद प्रकरण कं.-24/15
संस्थापित दिनांक-12.01.2015
Filling no- 235103004992015

वेदपाल सिंह पुत्र श्री काशीराम जाति यादव आयु 32 साल निवासी महात्मा गांधीनगर कॉलोनी चंदेरी जिला अशोकनगरपरिवादी
विरुद्ध
संग्राम सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह उम्र 49 साल जाति अहिरवार निवासी साडा कॉलोनी चंदेरी जिला अशोकनगरअभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.05.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अपराध किये जाने का अभियोग है कि दिनांक 31.10.2014 का चैक क0 804887 राशि 2,00,000/- रुपये का भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली दरवाजा शाखा चंदेरी का आप आरोपी ने ऋण अदायगी के पेटे परिवादी को प्रदान किया जिसने उक्त चैक को बैंक भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर उक्त चैक समाशोधन हेतु आपके खाता धारी बैंक में भेजे जाने का बैंक ने अपर्याप्त राशि की टीप के साथ जानकारी देते हुये मेमोरेण्डम सहित चैक को अनादृत करते हुये परिवादी को चैक वापिस कर दिया। तत्पश्चात परिवादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से पंजीकृत सूचना पत्र दिनांक 11.12.2014 आपको निर्वाहित कराया। उसके पश्चात भी आपके द्वारा विवादित चैक राशि विधिक अवधि में परिवादी को प्रदान नहीं की गई जो कि परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

02- उभयपक्ष आपस में परिचित होना स्वीकृत है।

03- परिवाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त तथा परिवादी आपस में परिचित होकर दोनो के आपसी संबंध अच्छे होने के कारण अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 31.10.2014 को 2,00,000/- रुपये नगदी 2 माह के लिये उधार स्वरूप लिये थे तथा अभियुक्त ने परिवादी को उसके भारतीय स्टेट बैंक शाखा दिल्ली दरवाजा चंदेरी के बैंक खाता क0 53029867116 का 2,00,000/- रुपये का चैक जिसका क0 804887 अपने हस्ताक्षर करके दिया था। अभियुक्त द्वारा नियत अवधि 2 माह के अन्दर परिवादी से लिया रुपया वापस नहीं किया। परिवादी द्वारा 2,00,000/- रुपये वापस मांगने पर अभियुक्त हीले हवाले करने लगा। किन्तु

अभियुक्त ने 2,00,000/- रुपये वापस नहीं किये। परिवादी द्वारा दिनांक 11.12.14 को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्रीकुंज चंदेरी के खाता क्र0 30419689399 में उक्त चैक भुगतान हेतु जमा किया। किन्तु अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बैंक द्वारा उक्त चैक अनादृत कर दिया गया। परिवादी ने अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 11.12.14 को उक्त तथ्यों एवं चैक अनादृत होने के संबंध में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अभियुक्त को प्रेषित कराया जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया और अभियुक्त के अभिभाषक के द्वारा उक्त सूचना पत्र का जबाब भी दिया गया जो परिवादी को दिनांक 29.12.2014 को प्राप्त हुआ। अभियुक्त द्वारा कथित धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है।

04— धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा परिवादी से कोई राशि प्राप्त ना कर विचारण चाहा। धारा 313 दा0प्र0स0 के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि उसने कोई चैक परिवादी को नहीं दिया है तथा स्वयं को निर्दोश होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को कुल रुपये 2,00,000/- की धनराशि ऋण अदायगी हेतु भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली दरबाजा शाखा चंदेरी स्थित उसके अनुरक्षित खाते से धन संदाय हेतु चैक क्र0 804887 दिनांक 31.10.2014 का जारी किया गया ?
2.	क्या उक्त चैक नियत अवधि में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित बैंक द्वारा अपर्याप्त निधि के कारण अनादृत वापस किया गया ?
3.	क्या परिवादी द्वारा अभियुक्त को नियत अवधि में लिखित मांग सूचना पत्र चैक की राशि अदा करने हेतु निर्वाहित किया ?
4.	क्या अभियुक्त द्वारा उक्त मांग सूचना पर मिलने के पश्चात विधिक अवधि में चैक की राशि अदा नहीं की ?
5.	दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति ?

: : विचारणीय प्रश्न क्र0 1 निष्कर्ष एवं आधार : :

06— वेदपाल प0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि अभियुक्त और उसके संबंध आपस में मधुर होने के कारण उससे संग्राम सिंह ने 2,00,000/- रुपये उधार मांगे थे जो कि परिवादी द्वारा दिनांक 31.10.2014 को संग्राम सिंह को 2,00,000/- रुपये नगदी उधार दिये थे तथा अभियुक्त ने उक्त 2,00,000/- रुपये परिवादी को दो माह के अन्दर वापस करने का वायदा किया था और अभियुक्त ने

भारतीय स्टेट बैंक शाखा दिल्ली दरवाजा चंदेरी का खाता क्रमांक 5302987116 का 2,00,000/- रुपये का चैक जिसका क्रमांक 804887 बतौर विश्वास के दिया था।

07- परिवादी और अभियुक्त पूर्व से परिचित थे इस संबंध में परिवादी द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों को बचाव पक्ष द्वारा उसके सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में विवादित नहीं किया है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह निर्विवादित है कि परिवादी व अभियुक्त पूर्व से एक दूसरे से परिचित थे। परिवादी वेदपाल सिंह प0सा0 01 के अनुसार अभियुक्त ने उससे उधार ली गई दो लाख रुपये की राशि के भुगतान के लिये उसे भारतीय स्टेट बैंक शाखा दिल्ली दरवाजा चंदेरी का खाता क्रमांक 5302987116 का 2,00,000/- रुपये का चैक जिसका क्रमांक 804887 दिया था। उक्त चैक प्र.पी. 1 दिनांकित 31.10.2014 है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त चैक प्र.पी.1 के संबंध में बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा नहीं है कि उक्त चैक अभियुक्त के खाते का नहीं है या उसपर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। स्वयं अभियुक्त संग्राम सिंह उसका खाता नम्बर 53029867116 होना उसके प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में अभियोगी के इस सुझाव को स्वीकार करता है कि पहले वह प्र.पी.1 अर्थात् चैक के ए से ए भाग पर जो हस्ताक्षर है वैसे हस्ताक्षर करता था। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रश्नगत चैक अभियुक्त के खाते का होकर उक्त चैक पर उसके हस्ताक्षर है।

08- उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के द्वारा सुझाव के माध्यम से ली गई प्रतिरक्षा एवं प्रश्नगत चैक के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उपरोक्त चैक अभियुक्त के द्वारा संधारित किये जा रहे खाते का होकर स्वयं अभियुक्त द्वारा ही हस्ताक्षरित है। प्रश्नगत चैक के संबंध में बचाव पक्ष की यह प्रतिरक्षा है कि चैक बुक चोरी चली गई थी जिसकी अभियुक्त द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी। अभियुक्त के अनुसार चैक बुक परिवादी वेदपाल चोरी कर ले गया है इसकी सूचना उसे छात्रावास के बालक से ज्ञात हुई तो उसने थाने में रिपोर्ट की थी व एस. पी. साहब के यहां आवेदन दिया था।

09- अभिलेख पर आई साक्ष्य से अभियुक्त व परिवादी की पूर्व की जान पहचान होना विवादित नहीं है तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि प्रश्नगत चैक अभियुक्त द्वारा ही स्वयं के खाते का होकर हस्ताक्षरित है। परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 के अनुसार It shall be presumed unless the contrary is proved that the holder of a cheque received the cheque of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part or any debt or other liability उपरोक्त उपधारणा अज्ञापक स्वरूप की है। परन्तु उक्त उपधारणा कब ली जा सकती है तथा उक्त उपधारणा लिये जाने से पूर्व सबूत का भार किस पर होगा यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्याय दृष्टांतों में स्पष्ट किया है।

10— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत "**Hiten P. Dalal v. Bratindranath Banerjee**" AIR 2001 S. C. 3897 में अभिमत दिया कि it is obligatory on the Court to raise this presumption in every case where the factual basis for the raising of the presumption had been established. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत "**K. Bhaskarn vs. Sankarn Vaidhyan Balan**" AIR 1999 S.C.- 3762" में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, यदि उपधारणाओं के संबंध में तथ्यागत आधार स्थापित कर दिये जाते हैं तथा उनके अस्तित्व को परिवादी द्वारा साबित कर दिया जाता है, तो न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध धारा 118—क एवं 139 की वैधानिक उपधारणा कर सकता है।

11— इसी तारतम्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत "**Kumar Exports, M/s. v. M/s. Sharma Carpets**" AIR 2009 S. C. 1518 esa अभिमत दिया कि Applying the definition of the word 'proved' in Section 3 of the Evidence Act to the provisions of Sections 118 and 139 of the Act, it becomes evident that in a trial under Section 138 of the Act a presumption will have to be made that every negotiable instrument was made or drawn for consideration and that it was executed for discharge of debt or liability once the execution of negotiable instrument is either proved or admitted. As soon as the complainant discharges the burden to prove that the instrument, say a note, was executed by the accused, the rules of presumptions under Sections 118 and 139 of the Act help him shift the burden on the accused

12— प्रकरण में परिवादी के द्वारा यह स्थापित किया गया है कि उसके अभियुक्त से पूर्व के संबंध थे तथा प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-01 जो कि अभियुक्त द्वारा संधारित किये जा रहे खाते के हैं स्वयं अभियुक्त के द्वारा ही हस्ताक्षरित है। अतः परिवादी के द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 की उपधारणा लिये जाने के संबंध में तथ्यागत आधार स्थापित कर दिये गये हैं। ऐसे में परिवादी के पक्ष में धारा 139 के तहत उपधारणा की जायेगी कि प्रदर्श पी- 01 का चैक परिवादी ने परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 में उल्लेखित किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु प्राप्त किये थे अतः उक्त उपधारणा के चलते, सबूत का प्रारंभिक भार अभियुक्त पर आ जाता है कि वह उक्त उपधारणा के प्रतिकूल यह साबित करे कि प्रदर्श पी-01 का चैक उसके द्वारा किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को नहीं दिया गया।

13— परिवादी वेदपाल सिंह प0सा0 01 के मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों के अनुसार उसने अभियुक्त को कुल 2,00,000/- रुपये की धनराशि नगदी दिनांक 31.10.2014 को 2 माह के लिये उधार स्वरूप दिये थे और अभियुक्त ने परिवादी से कहा था कि वह परिवादी के दो लाख रुपये 2 माह में वापस कर देगा और अभियुक्त

के द्वारा प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-01 परिवादी को प्रदान किया। परन्तु परिवादी अपने मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों के विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में कहता है कि आरोपी ने उसे 2 चैक दिये थे। पहला चैक 2,75,000/- रुपये का उसमें से 75,700/- रुपये वापस कर पुनः दो लाख रुपये का चैक दिया था जिसका परिवादी ने दावा किया है तथा वर्ष 2014 के 9 महीने में 18-18 हजार रुपये के 2 चैक दिये थे जिनका भुगतान हो गया था।

14- परिवादी उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 7 में व्यक्त किया कि आरोपी उससे फुटकर में पैसे लेता रहा है तथा बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि अभियुक्त ने उसके खिलाफ पुलिस में दिनांक 13.10.2014 को रिपोर्ट की थी। स्वयं परिवादी ने इस बात को स्वीकार किया है कि अभियुक्त खाना बनाने का काम करता है तथा इतनी बड़ी राशि के संबंध में परिवादी द्वारा कोई लिखा पट्टी भी नहीं की गई है तथा इतनी बड़ी राशि बिना कारण के अभियुक्त को दिये जाने का कोई कारण भी परिवादी द्वारा व्यक्त नहीं किया है तथा चैक दिनांक 31.10.2014 के पूर्व ही अभियुक्त द्वारा चैक चोरी होने के संबंध में दिनांक 13.10.2014 को थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक, शाखा प्रबंधक चंदेरी को चैक चोरी होने के संबंध में शिकायत की थी तब यह कैसे संभव है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी की दिनांक 13.10.2014 को शिकायत की हो और 31.10.2014 को परिवादी को 2,00,000/- रुपये का चैक दिया हो। परिवादी द्वारा अपने परिवादी या मुख्य परीक्षण में इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा उसे आगे की दिनांक का या बिना दिनांक का कोई चैक दिया हो। परिवादी एक तरफ अपने परिवाद पत्र एवं मुख्य परीक्षण में अभियुक्त को दिनांक 31.10.14 को 2 लाख रुपये नगद देना बताता है, वही प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त को फुटकर में पैसे देना व्यक्त करता है। इस प्रकार स्वयं परिवादी की साक्ष्य से एवं उसके द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं प्रतिपरीक्षण में बताये गये समव्यवहार को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को 2 लाख रुपये की धनराशि अदायगी के दायित्व के विमोचन हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा दिल्ली दरबाजा चंदेरी उसके अनुरक्षित खाते से धन संदाय हेतु चैक क्र0 804887 दिनांक 31.10.2014 का जारी किया गया।

: : विचारणीय प्रश्न क्र0 2, 3, 4, 5 निष्कर्ष एवं आधार : :

15- उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो। उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्ष्यजन्य तथ्य एवं निष्कर्ष अन्योनाश्रित है। वेदपाल प.सा-01 द्वारा उसके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में बताया कि अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी-01 एवं बैंक से वापिस प्राप्त अनादरण संबंधी मेमो प्रदर्श पी-02 प्रकरण में

प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष ने इस तथ्य एवं उपरोक्त दस्तावेज का कोई खंडन नहीं किया है। जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत चैक अर्पाप्त निधि होने के कारण अनादरित होकर परिवादी को प्राप्त हुआ है तथा प्रश्नगत चैक विहित समयावधि में भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत भी किया गया।

16— वेदपाल प0सा01 का कहना है कि चैक अनादरित वापस होने की सूचना उसे बैंक द्वारा ज्ञापन प्रदर्श पी-02 के माध्यम से दिनांक 11.12.2014 को प्राप्त हुई। चैक राशि का भुगतान न होने पर उसने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को सूचना पत्र प्रदर्श पी-03, सूचना पत्र भेजने की रसीद प्रदर्श पी-04, सूचना पत्र प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-05, उत्तर सूचना पत्र प्रदर्श पी- 6 प्रस्तुत किये। जिसका खण्डन अभियुक्त की ओर से नहीं किया गया और न ही अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा है कि उसे प्रदर्श पी-02 का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ बल्कि उसके विपरीत अभियुक्त की ओर से प्रेषित नोटिस के जवाब प्रदर्श डी-05 से यह प्रमाणित होता है कि मांग सूचना पत्र अभियुक्त पर तामील हुआ। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी ने चैक अनादरण की सूचना प्रदर्श पी-02 के मेमोरेण्डम अनुसार दिनांक 11.12.2014 को प्राप्त होने के उपरांत तीस दिन की विहित समयावधि में रजिस्टर्ड डाक से अभियुक्त को चैक राशि की मांग का सूचना पत्र दिनांक 16.12.2014 को प्रदर्श पी-04 निर्वहित कर चैक राशि संदाय करने की मांग की गई थी।

17— वेदपाल प0सा01 की साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त को सूचना पत्र की जानकारी मिलने के बावजूद अभियुक्त ने चैक राशि का भुगतान नहीं किया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा यह परिवाद दिनांक— 12.01.2015 को प्रस्तुत किया गया। यह परिवाद स्पष्ट रूप से सूचना पत्र में निर्धारित 15 दिन की अवधि पूर्ण होने के उपरांत एक माह की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष की ओर से सूचना पत्र अवधि में चैक राशि भुगतान किए जाने का कोई अभिवाक या प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। अभियुक्त द्वारा चैक राशि का भुगतान परिवादी को किया गया ऐसी कोई प्रतिरक्षा बचाव पक्ष की नहीं है।

18— परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं वेदपाल प.सा-01 के न्यायालयीन कथनों में यह बात तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है कि परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत करने में धारा 138 (क) (ख) व (ग) एवं धारा 142 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रावधान का पालन करते हुये विहित समयावधि में यह परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु मात्र परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर देने मात्र से या अभियुक्त के द्वारा चैक दिये जाने मात्र से धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम का आरोप साबित नहीं होता। धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के अपराध को साबित करने के लिये यह साबित किया जाना आवश्यक है कि प्रश्नगत चैक विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु अभियुक्त द्वारा जारी किया गया था। जो कि वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य से साबित नहीं होता है। जिससे प्रश्नगत चैक विधिक ऋण या दायित्व से उन्मोचित होने के लिये अभियुक्त द्वारा जारी किया

//7//परिवाद प्रकरण क्रमांक-24/15

Filling no-235103004992015

गया यह साबित नहीं होता है।

19— फलतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त **संग्राम सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी साडा कॉलोनी चंदेरी** को परकाम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20— अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0